

प्र०स० 37/19

हुक्म नं० ७/६ शमकिसान क०
कार्यवाही

दिनांक
हुक्म

27/19

पत्रावली क्र० ६२। अफीमाने वकील अफीमाने
कोचो ही अड्डा पहिले न्यायालय समेत तड्डे तगा
विषय हेतु ११२-११२ ख०-२०३ क्र० आवाज लगवाई
गई परन्तु कोचो में से अफीमाने न्यायालय में उपस्थित
नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकृष्ट को न्यायालय में चलाये
जाते हैं। कोचो अस्थित नहीं रह जाता है। अतः अफीक
अफीमाने अफम हाजरी, अफम फूरी को २१/१२
को जाती है। पत्रावली नं० ६२ के क्र० ११२
तारीख तड्डे तगा पहिले वकालत हेतु निर्णय मुझे
न्यायालय में लिखा जाऊँगा। सुमाया गया।



27/19
कोचो - अफीक
अफीक
अफीक (सपन)

अफीक
अफीक
(अफीक)